खास समाचार

यात्री बसों की जांच, एक का फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त



नईदुनिया प्रतिनिधि, सागरः त्यौहारों के दौरान यात्रियों से अधिक किराया वसूली, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर परिवहन विभाग ने यात्री बसों की सघन जांच की। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने 4 नवंबर को बहेरिया तिराहा और बम्होरी तिराहा पर 16 यात्री वाहनों की जांच की। जांच में यात्री बस क्रमांक यूपी 22 एटी 3375 में आपातकालीन द्वार और अलग-अलग दो दरवाजे नहीं पाए गए। इस पर मोटरयान अधिनियम के तहत बस का फिटनेस प्रमाणपत्र मौके पर ही निरस्त कर दिया गया। फिटनेस निरस्त रहने की अवधि में वाहन का पंजीयन और परमिट भी निलंबित रहेगा। अन्य 11 बसों में चालक का अनुज्ञापत्र नहीं होना, क्षमता से अधिक सवारियां, दस्तावेजों की कमी, अग्निशमन यंत्र का अभाव, उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका और परावर्तक पट्टी नहीं होना तथा चालक का निर्धारित गणवेश में नहीं होना पाया गया। इन पर चालानी कार्रवाई कर 42 हजार रुपये शमन शुल्क वसूला गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों को बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन, कर और प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए। जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

खाद्य विभाग और पुलिस की कार्रवाई, 13 सिलेंडर जब्त



नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने परसोरिया में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच की। जांच के दौरान खाद्य विभाग के आपूर्ति अधिकारी सुनील वर्मा, अभिषेक मोर एवं सौरव यादव तथा पुलिस की संयुक्त टीम परसोरिया स्थित सामुदायिक स्वच्छता भवन के सामने जैन के मकान में पहुंची। मौके पर एचपी कंपनी के 8 भरे एवं 4 खाली गैस सिलेंडर तथा 5 किलोग्राम क्षमता का 1 खाली सिलेंडर पाया गया। संबंधित व्यक्ति द्वारा सिलेंडरों के भंडारण के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर टीम ने मौके से सभी 13 गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया।

खुरई विस क्षेत्र के चार नगरीय निकायों को 15 करोड़ स्वीकृत



नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर/खुरई। पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने खुरई विधानसभा क्षेत्र के चार नगरीय निकायों खुरई नगर पालिका, नगर परिषद बरोदिया कलां, नगर परिषद बांदरी और नगर परिषद मालथौन में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा खुरई नगर पालिका को 6 करोड़, नगर परिषद बरोदिया कलां को 3 करोड़, नगर परिषद बांदरी को 3 करोड़, 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। राशि स्वीकृत करने के लिए पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक श्री भूपेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव तथा नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय का आभार व्यक्त किया है।

निगमायुक्त ने खरीदे मिट्टी के दीये छोटे व्यापारियों को दिया बढ़ावा



नईदुनिया प्रतिनिधि, सागरः दीपावली पर स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने धनतेरस पर सपरिवार कटरा बाजार पहुंचकर खरीदारी की। उन्होंने मिट्टी के दीये, मिट्टी की ग्वालन, रुई, बताशे, मुरमुरे, घड़िया, चीनी के खिलौने और पूजन सामग्री खरीदी। उन्होंने घर के मुख्य द्वार की सजावट के लिए तोरण, बंदनवार, गेरू और हिरमिची भी खरीदी। आयुक्त को अपनी दुकानों से सामग्री खरीदते देखकर छोटे दुकानदारों और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों में खुशी दिखाई दी। उन्होंने सबसे पहले कपड़े के थैले खरीदे और बाजार में खरीदारी कर रहे नागरिकों को भी इनका उपयोग करने की सलाह दी। खत्री ने कहा कि दीपावली हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण और रोशनी का पर्व है। इसकी खुशियां तभी सार्थक हैं, जब स्थानीय छोटे व्यापारियों, मेहनतकश परिवारों को भी इसका लाभ मिले।

महिला की मौत के बाद जागे स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार, नियम विरुद्ध अस्पताल सील

पूर्व में अस्पताल में लापरवाही पूर्वक किए गए इलाज से मरीजों की हुई मौत के मामले में विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए अस्पताल को बंद करवाया

नईदुनिया प्रतिनिधि राजगढ़/नरसिंहगढ़। जिले में किसी भी तरह की दुर्घटना होने के बाद पीडित की गई जान और हंगामे के बाद सड़को पर स्पीड़ब्रेकर बनाना या स्वास्थ्य विभाग द्धारा किसी अस्पताल को सील करना जैसे एक पैर्टन हो गया है।

यही बात जिले के नरसिंहगढ़ में देखने को मिली जब एक पेट दर्द की शिकायत के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई एक महिला की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदार टीम ने शहर में संचालित लीलावती अस्पताल को मंगलवार को सील कर दिया गया। देर शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंच उसे सीलबंद करने की कार्रवाई की।

पूर्व में अस्पताल में लापरवाही पूर्वक किए गए इलाज से मरीजो की हुई मौत के मामले में विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए अस्पताल को बंद करवाया। इस दौरान ने नियम विरूद्ध अस्पताल संचालन पर प्रबंधन पर भी कार्रवाई की बात कही है। कार्रवाई के दौरान सीएमएचओ डॉ शेख जलालुद्दीन , सीबीएमओ आर के अहिरवार, तहसीदार सुनीता देहरवाल , थाना प्रभारी गुंजा सोलंकी, एसआई अभय सिंह सहित विभागीय टीम मौजूद रही।

क्यों देर से जागते है जिम्मेदार

जिले में स्वास्थ्य विभाग की हालात यह है कि कभी अटैचमेंट खत्म करने के आदेश जारी किए जाते है तो फिर उसी के उलट कर्मचारियों को जरूरत के हिसाब से फिर रोकने की तैयारी की जा रही है। जिले भर में स्टॉफ की कमी से जूझ रहे शासकीय अस्पताल में डॉक्टर कैसे काम कर रहे है यह सिर्फ वह स्वयं ही जानते है कई कर्मचारियों का काम डॉक्टर ही कर लेता है। परंतु अधिकारी दबाव में उन्हें इधर से उधर करने में लगे हुए है जिससे समस्या जस की बनी हुई है। इसको ऐसे भी समझ सकते है कि न ही ता जिम्मेदारों से शासकीय स्वास्थ्य केंद्र ही संभल रहे और न ही प्रायवेट अस्पताल व नर्सिंग होम में समय पर जांच कार्रवाई नहीं हो पा रही, कार्रवाई के लिए भी किसी की मौत का इंतजार अधिकारी कब तक करते रहेंगे।

महिला की मौत पर हुआ था हंगामा

लीलावती अस्पताल में लगातार गड़बडीयों की शिकायते मिल रही थी। कुछ माह पूर्व पेट दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती हुई महिला की मौत होने के बाद परिजनों ने लापरवाही पूर्वक इलाज के आरोप लगाए थे। जिसकी स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारियो से शिकायते की गई थी। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंच अस्पताल में छानबीन करते हुए जांच प्रतिवेदन तैयार किया था। इसी की जांच में अस्पताल में कमियां मिलने पर इसे सील करने की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि अस्पताल प्रबंधन ने जो जानकारीयां स्वास्थ्य विभाग को दी थी वह भी सही नही थी। इन्ही सब कमियों को दृष्टिगत करते हुए मामले में कार्रवाई की गई।



लैब, क्लीनिक की भरमार -

शहर में लगातार निजी अस्पताल, लैब और क्लीनिक खुल गए है। जिन पर भी आए दिन गलत जांच रिर्पोट देने और मरीजो का लापरवाही पूर्वक इलाज किए जाने के मामले सामने आ रहे है। ऐसे में जिम्मेदार नागरिको ने फर्जी तरीके से संचालित हो रहे स्वास्थ्य संस्थानो की भी जांच की मांग उठाई है। **सीबीएमओ बोले - लीलावती अस्पताल में पूर्व में मरीज की हुई मौत और अन्य मामलो की जांच के आधार पर अस्पताल को सील किया गया है।**

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास, 60 हजार का अर्थदंड

इंदौर निवासी युवक की गला दबाकर की थी हत्या



नईदुनिया प्रतिनिधि सारंगपुर। छपरा टोल टैक्स के पास इंदौर निवासी युवक की हत्या के मामले में सारंगपुर न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी तरुण सिंह ने अभियुक्त रवि गोस्वामी और दीपक गोस्वामी निवासी ग्राम चुकलिया, जिला राजगढ़ को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। जानकारी अनुसार अतिरिक्त लोक अभियोजक बृज किशोर चौहान ने बताया कि घटना 26-27 नवंबर 2023 की दरमियानी रात की है।

आरोपियों ने छपरा टोल टैक्स, एबी रोड उदनखेड़ी के पास इंदौर निवासी अंकित शर्मा की चादर के टुकड़े से गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मृतक का मोबाइल, पर्स और कार की नंबर प्लेट तोड़कर फेंक दी थी। मामले में थाना पचोर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 एवं 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। प्रकरण क्रमांक 570/2023 में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के कथनों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।

न्यायालय ने धारा 302 के तहत दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 201 सहपठित धारा 34 के तहत 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस प्रकार दोनों आरोपियों पर कुल 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को सारंगपुर जेल भेज दिया गया। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक बृज किशोर चौहान ने की।

थोक पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक, सुरक्षा को लेकर निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागरः कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने शहर के थोक एवं फुटकर पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक ली, जिसमें पटाखा बाजार की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। इस दौरान पटाखा विक्रेताओं ने भी अपने सुझाव रखे। बैठक में नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेश द्विवेदी, सिटी एसपी ललित कश्यप सहित थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि दुकान में पटाखों का भंडारण तय सीमा में और सुरक्षित तरीके से किया जाए, खुले बाजार में पटाखों की बिक्री न हो। उन्होंने कहा कि दुकानों के आसपास वाहन पार्किंग न हो, पटाखा बिक्री क्षेत्र में चाय की दुकान न लगे। हर दुकान पर फायर सेफ्टी का सामान, पानी, टैंकर और रेत की बाल्टी रखी जाए, दुकानों के बीच पर्याप्त जगह छोड़ी जाए और लाइसेंस की शर्तों का पालन किया जाए। दुकानदार पटाखा बिक्री का लाइसेंस अपनी दुकान पर चस्पा करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि पटाखा निर्धारित स्थल में ही बेचा जाए। अन्यत्र बस्ती में अथवा पटाखा बाजार से इतर विक्री पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। दुकानों पर प्रदर्शन के लिए बाहर पटाखे न रखे जाएं, पूरे बाजार में सुरक्षा की व्यवस्था हो, धूम्रपान करने वालों को रोका जाए, पटाखा दुकानों पर छोटे बच्चों को न रखा जाए और ने ही छोटे बच्चों को पटाखे बेचे जाएं। नियम तोड़ने पर कार्यवाही की जाएगी, वहीं अवैध बिक्री की शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी कार्यवाही करेंगे।

कलेक्टर ने बीएमसी का औचक निरीक्षण कर दिए निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागरः कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने शुक्रवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों एवं वार्डों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने ब्लड टेस्ट रिपोर्टिंग और सैंपलिंग प्रक्रिया की जानकारी ली। सैंपल जांच में लगने वाले समय तथा रिपोर्ट मिलने की अवधि के संबंध में पूछा। साथ ही सीटी स्कैन की प्रतिदिन होने वाली संख्या, मरीजों से लिए जाने वाले शुल्क, उपचार खर्च एवं भुगतान प्रक्रिया की जानकारी ली। एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण कर उनकी दरों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मरीजों को समय पर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने एवं शुल्क व्यवस्था पारदर्शी रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने ओपीडी एवं आईपीडी की व्यवस्थाएं देखीं। उन्होंने प्रतिदिन ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या, प्रसव संबंधी रजिस्टर तथा



नॉर्मल एवं सी-सेक्शन डिलीवरी की जानकारी ली। अस्पताल में उपलब्ध कुल बेड, विभिन्न वार्डों में बेड की संख्या और 24 घंटे संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में भी पूछा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी की समय-सारणी का अवलोकन किया और मरीजों के लिए समय-सारणी का पालन सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने एसएनसीयू एवं पीआईसीयू वार्ड का निरीक्षण कर भर्ती बच्चों, उपलब्ध सुविधाओं और कर्मचारियों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान शेड पर गंदगी पाए जाने पर उन्होंने तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही सफाई कर्मियों की संख्या और शिफ्टवार ड्यूटी की जानकारी ली तथा सफाई व्यवस्था की निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जेल वार्ड का निरीक्षण कर कैदियों के आवागमन के रास्ते एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के उपचार और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में भी पूछा तथा सुरक्षा और इलाज की उच्चस्तरीय व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में प्रतिदिन होने वाले ऑपरेशनों एवं उनके प्रकारों की जानकारी ली। रिकवरी रूम में मरीजों की स्थिति देखी और उनके परिजनों से चर्चा की। सर्जिकल रूम एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की तथा परिजनों की सुविधा और मरीजों की देखभाल में कोई ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अस्पताल की फायर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का नियमित प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल के मेंटेनेंस पर हुए व्यय और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की तथा मेंटेनेंस कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने मिष्ठानों के नमूने जुटाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागरः त्योहारों के दृष्टिगत सागर जिले में आम नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सतत एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के स्पष्ट एवं सख्त निर्देशों के परिपालन में जिलेभर में मिलावटखोरों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग के जांच दल द्वारा राजस्थान स्वीट्स के निर्माण कारखाने का औचक एवं सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता एवं मानकों की प्रामाणिकता की जांच हेतु कारखाने में तैयार किए जा रहे मिल्क केक, केसर बर्फी एवं मूंग बर्फी के नमूने संग्रहित किए गए। इसके पश्चात टीम ने सिदगुवां स्थित मेसर्स भैया लाल जी ट्रेडिंग हाउस के मिष्ठान



कारखाना परिसर का जायजा लेते हुए मावा कतली के नमूने सील किए। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिले के समस्त मिष्ठान निर्माताओं एवं विक्रेताओं को विशेष बातों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुसार मिठाइयों के निर्माण में खाद्य रंगों का प्रयोग न्यूनतम रखा जाए। अत्यंत आवश्यक होने पर केवल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत एवं अनुमत खाद्य रंगों का ही निर्धारित मानक मात्रा में उपयोग किया जाए। अमानक रंगों के प्रयोग या किसी भी प्रकार की मिलावट की पुष्टि होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक व वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप वर्मा एवं शीतल सिंह के दल द्वारा निष्पादित की गई। संग्रहित किए गए सभी नमूनों को परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मात्र 2 घंटे बिजली, परेशान ग्रामवासियों ने सौंपा ज्ञापन



नईदुनिया प्रतिनिधि राजगढ़/सुठालिया। क्षेत्र के तुलसीपुरा, कोलूखेड़ी और सड़िया गांवों में बिजली की अनियमित आपूर्ति से ग्रामीण परेशान हैं। हालात यह हैं कि ग्रामीणों को शाम के समय अटल ज्योति योजना के तहत महज दो घंटे बिजली मिलने की बात कही जा रही है। उसमें भी दो से तीन बार बिजली गुल हो जाती है। इससे गांवों में रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई महिनों से वे इस हाल में रहने को मतबूर हो रहे है तब कहीं जाकर अपनी बात कलेक्टर तक पहुंचाई है। बिजली विभाग उनकी सुनता नहीं है जिससे लगातार परेशानियां बढ़ रही है। ग्रामीणों ने 4 नवंबर को कलेक्टर के नाम आवेदन देकर बिजली व्यवस्था में सुधार कराने की मांग की है।

आवेदन में बताया कि बिजली विभाग की अनियमितता के चलते क्षेत्र के लोग लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा लाइन के तार उतारकर ले जाने से भी समस्या बढ़ी है। इसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पशुओं को पानी पिलाने में भी परेशानी - ग्रामीणों का कहना है कि बिजली की अनियमितता का असर खेती-किसानी और पशुपालन पर भी पड़ रहा है। समय पर पशुओं को पानी तक नहीं पिला पा रहे हैं। बिजली पर निर्भर अन्य काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पहले भी इस समस्या को लेकर आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।

कार्रवाई नहीं होने से बढ़ रहा आक्रोश- आवेदन में ग्रामीणों ने मांग की है कि बिजली आपूर्ति नियमित कराई जाए और लाइन से संबंधित समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। बार बार विभाग द्धारा लाइन पर अतिरिक्त भार का बहाना बनाकर लंबे समय तक बिजली बंद कर दी जाती है । मात्र 2 घंटे के लिए बिजली सप्लाई से रात को चोरी जैसी घटनाओं का डर भी बना रहता है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश देकर गांवों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए, ताकि ग्रामीणों को रोजमर्रा की परेशानियों से राहत मिल सके।

सागर, राहतगढ़ और बंडा में मिष्ठान भंडारों एवं डेयरियों का औचक निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागरः खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप वर्मा और शीतल सिंह के नेतृत्व में सागर नगर, राहतगढ़ और बंडा में विभिन्न मिष्ठान भंडारों एवं डेयरियों का औचक निरीक्षण किया गया। इस कार्रवाई के दौरान टीम द्वारा खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता परखने के लिए विभिन्न नमूने लिए गए। राहतगढ़: यहां स्थित 'जग्गू समोसा' से त्योहारी मांग को देखते हुए गुलाब जामुन, सोहन पापड़ी, बालूशाही, नमकीन पापड़ी और नमकीन सेव की गुणवत्ता की जांच की गई।

बंडा: आनंद डेयरी' का सघन निरीक्षण कर वहां से मावा और मावा के पेड़े के नमूने लिए गए।

सागर नगर (बड़ा बाजार एवं कटरा) मैसर्स गुप्ता मिठाई घर (बड़ा बाजार) यहां से पेड़ा, कलाकंद और बूंदी के लड्डू के नमूने लिए गए। मैसर्स रौनक एजेंसी (कटरा वार्ड) इस प्रतिष्ठान से 'खाओसा रसगुल्ला' और 'रामजी-स्वाद गुलाब जामुन' के नमूने लिए गए।

संतोष पटेरिया स्वीट्स (कटरा बाजार) टीम द्वारा यहां से 'मलाई बर्फी' का लीगल नमूना लिया गया। ओम बीकानेर मिष्ठान भंडार (कटरा वार्ड) गुणवत्ता जांच के लिए यहां से 'डबल फ्लेवर बर्फी' का नमूना लिया गया।

कठोर दंडात्मक एवं सुधारात्मक कार्रवाई: निरीक्षण के दौरान कुछ मिठाइयों में अत्यधिक कृत्रिम रंग पाया गया, जिस पर टीम द्वारा संबंधित दुकान संचालकों को कड़ी फटकार लगाई गई। इसके अतिरिक्त, कारखाने में मिठाइयों का निर्माण और संधारण (रखरखाव) अत्यंत खराब एवं अस्वच्छ स्थिति में पाए जाने पर सख्त कदम उठाते हुए निर्माण स्थल पर साफ-सफाई और आवश्यक उपाय सुनिश्चित होने तक निर्माण और भंडारण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया है। लिए गए सभी नमूनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के मानकों के अनुरूप विस्तृत परीक्षण हेतु राज्य खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

जनप्रतिनिधियों ने संभाली सफाई की कमान

दो दिन से शहर के 15 वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप, सड़कों और बाजारों में लगे कचरे के ढेर

नईदुनिया प्रतिनिधि बोड़ा। - नगर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पिछले दो दिनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार के अवसर पर शहर के 15 वार्डों में कचरा नहीं उठने से सड़कों और बाजारों में कचरे के ढेर लग गए हैं।

ऐसे में धनतेरस के दिन गुरुवार दोपहर 12 बजे नगर के जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई अभियान की शुरुआत की।

अभियान की शुरुआत बस स्टैंड स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स से की गई। यहां से नरसिंहगढ़ रोड होते हुए पुरानी नगर तक सफाई की गई। इसके बाद दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से डस्टबिन वितरित किए गए और कचरा निर्धारित कचरा वाहन में डालने की अपील की गई।

इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि करण जायसवाल, उपाध्यक्ष सतीश पाटीदार, पार्षद राजू भिलाला, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राधेश्याम राजपूत, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष चंद्र रुहेला, ब्रह्मानंद पाटीदार, पार्षद जशरथ सिंह राजपूत, भाजपा नेता किशोर पाटीदार, ओमप्रकाश राठौर मीडिया प्रभारी सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

दीपावली पर सफाई व्यवस्था ठप, नागरिक परेशान

शहरवासियों ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस बार दीपावली की शुरुआत इतनी गंदगी के बीच होगी। लगातार दूसरे दिन नगर के 15 वार्डों में कचरा संग्रहण नहीं हुआ। गुरुवार को कचरा उठाने वाले मैजिक वाहन भी बंद रहे। इसके चलते मुख्य बाजार, बस स्टैंड और विभिन्न मार्गों पर कचरे के ढेर दिखाई दिए। त्योहार के समय सफाई व्यवस्था ठप होने से नागरिकों और दुकानदारों को परेशानी का सामना



करना पड़ रहा है।

सफाई कर्मचारियों की चार प्रमुख मांगें

हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों की प्रमुख चार मांगें हैं। इनमें ठेका व्यवस्था समाप्त कर सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने, किसी भी कर्मचारी का मासिक वेतन 25 हजार रुपये से कम नहीं रखने, पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरे को अनुकंपा नियुक्ति देने तथा सभी सफाई कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग शामिल है।